कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

श्री संजीव कुमार, प्रधानाचार्य राउमावि आगोलाई (220275) जिला जोधपुर का स्थानांतरण आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/स्थानान्तरण/वो–2 दिनांक 25.09.2021 द्वारा राबाउमावि लोहावत, जिला जोधपुर एवं श्रीमती सीमा भार्गव, प्रधानाचार्य राबाउमावि लोहावट, जिला जोधपुर का स्थानान्तरण राउमावि आगोलाई (220275) जिला जोधपुर किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध श्री संजीव कुमार द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 13980/2021 संजीव कुमार बनाम राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 21.10.2021 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 25.09.2021 का क्रियान्वयन याचिकार्थी श्री संजीव कुमार के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है जिसके फलस्वरूप राउमावि आगोलाई (220275) जिला जोधपुर में प्रधानाचार्य पद पर दोहरे पदस्थापन की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

उक्त दोहरे पदस्थापन के निवारणार्थ शासन के पत्र क्रमांक पं.(17)शिक्षा–2/2022 दिनांक 23.06.2022 की अनुपालना में माननीय न्यायालय के याचिका में पारित आगामी/अन्तिम आदेश के अध्यधीन श्री संजीव कुमार, राउमावि आगोलाई (220275) जिला जोधपुर में प्रधानाचार्य के पद पर यथावत पदस्थापित रहेंगें एवं स्थगन से प्रभावित श्रीमती सीमा भार्गव, प्रधानाचार्य का समायोजन/पदस्थापन GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL LOHAWAT JODHPUR (220198) में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाता है।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/संजीव कुमार/13980/2021/10 दिनांकः 11-07-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संबधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,
5. संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
6. संबधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक,
7. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
9. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
10. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
11. सम्बन्धित प्रधानाचार्यो को आदेश की पालनार्थ।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते